न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 389 / 2024

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र मुखराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सागरमल पुत्र मुखराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. रोशनी पत्नि रोहिताश जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. काशीराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. भवरलाल पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
6. शंकराराम पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
7. देवीलाल पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
8. आनन्द पुत्र बलवीर जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
9. सुभाष पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–प्रतिवादीगण

11. अजयसिंह पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
12. मुकेश कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
13. मांगीलाल पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
14. सुरेश कुमार पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
15. सुल्तान सिंह जाखड़ पुत्र हरदयालराम जाखड़ जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर

– तरतीब प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 183 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
श्री संजय जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 30/04/26

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:31 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 794 / 526 के ख0न0 1006 / 585 की कुल 2.1495 हैक्ट भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 11 ता 15 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व

तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में काशीराम के द्वारा पश्चिमी की भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 ता 9 के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 11 ता 15 की भूमि पर पूर्वी तरफ अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा कर रखा है जिसे वादी बेदखल करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी व तरतीबी प्रतिवादी की भूमि को खाली कर देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री संजय जोशी उपस्थित शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व किार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण एक दुसरे के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में काशीराम के द्वारा पश्चिमी की भूमि पर कब्जा कर रखा है तथा प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 व 5 ता 9 के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 11 ता 15 की भूमि पर पूर्वी तरफ अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा कर रखा है जिसे वादी बेदखल करवा पाने का अधिकारी है लेकिन अधिवक्ता वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादीगण द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा किया गया हों। वादी द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनों के आधार पर वादी अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 389 / 2024

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र मुखराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सागरमल पुत्र मुखराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. रोशनी पत्नि रोहिताश जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. काशीराम पुत्र चन्दुराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. भवरलाल पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
6. शंकराराम पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
7. देवीलाल पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
8. आनन्द पुत्र बलवीर जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
9. सुभाष पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–प्रतिवादीगण

11. अजयसिंह पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
12. मुकेश कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
13. मांगीलाल पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
14. सुरेश कुमार पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर
15. सुल्तान सिंह जाखड़ पुत्र हरदयालराम जाखड़ जाति जाट निवासी ननाऊ तहसील नोहर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 389 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं वकील प्रतिवादी श्री संजय कुमार जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:02:31 IST
Reason: SelfAttested